–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बलौदाबाजार (छ.ग.) के अंतर्गत बलौदाबाजार भाटापारा जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों/विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों **(कार्यरत् नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद)** के विरूद्ध प्रशिक्षण सत्र 2022–23 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन दिनांक 10/10/2022 समय– शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार (सकरी) में जमा किये जा सकते है। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :–

1. **रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत् नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) :–**

क्र.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय/विषय	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	3	4	5
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला– बलौदाबाजार भाटापारा (छ0ग0)	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार	फिटर	01	
			इंस्ट्रुमेंट मेकेनिक	01	
			ड्राइव्हर कम मेकेनिक	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कसडोल	विद्युतकार	01	
			कोपा	01	
			हिन्दी स्टेनो	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भाटापारा	विद्युतकार	01	
			वेल्डर	01	
			मेकेनिक डीजल	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हथबंद	विद्युतकार	01	
			कोपा	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सिमगा	विद्युतकार	01	
			फिटर	01	
		औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पलारी	कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	01	
			कुल	**14**	

2. **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–**

स. क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
1	विद्युतकार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण

अनुमोदित

(संयुक्त संचालक)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर (छ.ग.)

		पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पात्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
2	मैकेनिक डीजल	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय षिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/आटोमोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पात्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस अनिवार्य है। 4. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
3	वेल्डर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिशद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/ पात्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।
4	फिटर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पात्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण ।
5	हिन्दी स्टेनो	1. मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पूरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से :- शीघ्रलेखक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी) के लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावगी) । 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एण्ट्री 10000 की (ग्यमल) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावगी) । 4. अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से (ए.टी.आई./सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई./आर.बी.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो ।

अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर, (छ.ग.)

6	कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रषिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/एआईसीटीई अथवा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साईंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पात्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएससी) से ''ए'' स्तर का प्रमाण–पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से बीसीए/पीजीडीसीए । 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रषिक्षण संस्थानों से(ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण ।
7	इंस्ट्रुमेंट मेकेनिक	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पूरानी पद्धति से ग्यारहवी अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । 3. अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से (ए.टी.आई./सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई./आर.बी.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो ।
8	ड्राइव्हर कम मेकेनिक	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पूरानी पद्धति से ग्यारहवी अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण । 3. अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थाओं से (ए.टी.आई./सी.टी.आई/एन.व्ही.टी.आई./आर.बी.टी.आई./आई.टॉट) से उत्तीर्ण हो । 4. हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैद्य लाइसेंस अनिवार्य है । कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है ।

टीपः– इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम " छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रषिक्षण(अराजपत्रित)तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।

1. **(अ) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :–**

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी ।

2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी ।

3. मेहमान प्रवक्ताओ को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा । अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर, (छ.ग.)

4. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नही होने अथवा आचरण संतोषजनक नही होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्थाप्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा ।

5. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदो पर आंमत्रित मेहमान प्रवक्ताओ की सेवाऐं स्वतः समाप्त हो जायेंगी ।

6. मेहमान प्रवक्ता आंमत्रित करने की प्रकिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रकिया स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओ/व्यवसायो/विषय के लिये आंमत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओ/व्यवसायो/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा ।

8. पृथक–पृथक संस्थाओ/व्यवसायो/विषय के लिये पृथक–पृथक आवेदन जमा करना होगा ।

9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा रू. **125/–** (रूपये एक सौ पच्चीस) मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम रू. 13000/– (रूपये तेरह हजार रूपये) मात्र मानदेय होगा। जो कि समय–समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा ।

10. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

11. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नही है, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेगें ।

12. व्यवसाय– स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता वाले अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

13. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल कमांक –01 को अवसर दिया जायेगा। इसी कम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा ।

(ब) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :–

1. आवेदेन दिनांक 10/10/2022 समय– शाम 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र **प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार (छ0ग0) पिन कोड़– 493228** में जमा किये जा सकते है । अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किये जावेंगे। लिफाफे के उपर आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम का उल्लेख करना आवष्यक है ।

2. आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

3. स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित प्रमाण पत्रों जैसे दसवीं की अंकसूची अथवा पुराना ग्यारहवीं की अंकसूची, व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेकेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) के लिए 12वीं की अंकसूची (पुराना ग्यारहवीं उत्तीर्ण होने की दषा में ग्यारहवी एवं स्नातक की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची), तकनीकी योग्यता, ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. की अंकसूची, हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस (व्यवसाय– मैकेनिक डीजल/ ड्रायवर–कम–मैकेनिक के लिए) निवास प्रमाण पत्र एवं

अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर, (छ.ग.)

अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, की स्व–सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है ।

4. आवेदन केवल प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदाबाजार, पोस्ट– अमेरा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ0ग0) पिन कोड– 493228 को ही किया जाना है । अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

5. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी ।

6. ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवष्यक प्रमाण पत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है की संलग्न छायाप्रतियां स्वप्रमाणित नहीं पाये जाने पर आवेदन को निरस्त /अमान्य किया जावेगा ।

7. आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।

8. यदि किसी आवेदक के विरूद्व अपराधिक अथवा दाण्डिक प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं। चयन होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा ।

9. आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय/विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नही किया जावेगा ।

10. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं उस व्यवसाय में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई. /आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण की अंकसूची संलग्न न होने पर चयन में प्राथमिकता नहीं दी जायेगी ।

11. जिस व्यवसाय हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं उस व्यवसाय में शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर मेरिट अंको की गणना आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जावेगी।

12. ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण है के आवेदन मान्य नहीं किये जायेगे।

13. व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेकेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) में ऐसे आवेदक जो केवल मार्डन आफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा उत्तीर्ण है के आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।

14. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

15. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा उसके बाद 10 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जाएगा तथा इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा।

16. चयनित होने के उपरान्त आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने पर नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्ते :–

1. व्यवसाय– स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) के लिए चयन की कार्यवाही क्रमशः निम्नानुसार की जावेगी–

अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर, (छ.ग.)

(अ) सर्वप्रथम व्यवसाय– स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (हिन्दी/अंग्रेजी) हेतु चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय में शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई प्रमाण–पत्र धारी आवेदकों की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी।

(ब) अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण पात्र आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं की अंकसूची अथवा पुरानी 11वीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची) के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी।

(स) प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण आईटीआई प्रमाण–पत्र धारी आवेदकों की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार कर की जावेगी।

(द) अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से शीघ्रलेखन (शॉर्टहैण्ड) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा उत्तीर्ण पात्र आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (12वीं की अंकसूची अथवा पुरानी 11वीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक प्रथम वर्ष की अंकसूची) के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही तैयार की जावेगी।

2. तकनीकी व्यवसायों के लिए चयन की कार्यवाही क्रमशः निम्नानुसार की जावेगीः–

(अ) प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/शिक्षुता परीक्षा/डिप्लोमा/डिग्री/पीजीडीसीए/बीसीए/एमसीए) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जावेगा ।

(ब) ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

टीपः–

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण–पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना कर चयन की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट अंकों की गणना में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. के प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जावेगा ।
2. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय/विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/इंजीनियरिंग में उपाधि/इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि/पीजीडीसीए/बीसीए/एमसीए आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण–पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी ।
3. तकनीकी व्यवसायों (स्टेनोग्रॉफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट –हिन्दी/अंग्रेजी को छोड़कर) के लिए ऐसे आवेदक जो राज्य व्यवसायिक प्रमाण–पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यवसायिक परीक्षा प्रमाण–पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर नहीं परंतु उनके राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के प्राप्तांको के आधार पर की जावेगी ।
4. व्यवसाय– मैकेनिक डीजल/ड्रायवर–कम–मैकेनिक के लिए हल्के मोटर यान (LMV) का वैद्य स्थायी लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न न किये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा ।

अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर (छ.ग.)

जिला नोडल/प्राचार्य,
शास0औद्यो0प्रशि0 संस्था बलौदाबाजार
जिला– बलौदाबाजार भाटापारा (छ0ग0)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1. औद्यो0प्रशि0संस्था का नाम ....
(जहॉ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे है।)

2. व्यवसाय / विषय का नाम ....

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो

प्रति,

नोडल अधिकारी / प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ....
____

1. आवेदक का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. माता का नाम :– ....
4. जन्मतिथि :– ....
(षब्दो में) ....
5. अ) पत्राचार का पता :– ....
....
....
ब) दूरभाष / मोबाईल नम्बर :– 1. .... 2. ....
6. स्थायी पताः– ....
....
....
7. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यताः–

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / विवि का नाम	व्यवसाय / विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1						
2						
3						
4						

टीप :– 1 योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।
2 प्रत्येक व्यवसाय / विषय के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।
3 छत्तीसगढ़ का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
4 यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबध मे जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
5 उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, एवं मै सहमत हूँ कि:–

अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें
रायपुर क्षेत्र, रायपुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

शपथ पत्र

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय–समय पर संशोधित /लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं सभी प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित करने पर मैं इस बात का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत करूंगा कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. मेरे विरूद्ध किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता की जानकारी बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. मै कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा तथा यह चयन इस सत्र के लिए या आवश्यकता रहने तक या नियमित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी। उसके लिए मैं सहमत हूँ ।
5. मैं संस्था में प्राचार्य/अधीक्षक या उनके अधिकृत कर्मचारी के अधिनस्थ के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी । कोई अनुशासनहीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो मुझे प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेगें।
6. मै एक से अधिक संस्थाओं हेतु उक्त पद के लिये आवेदन करता/करती हूँ एवं चयन भी हो जाता है तो मैं एक ही व्यवसाय एवं संस्था में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊँगा दूसरे व्यवसाय अथवा संस्था के लिए चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेगा ।
7. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित तिथि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा । उसके बाद प्रतीक्षा सूची के सरल कमांक 01 को अवसर दिया जा सकेगा । इसी कम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जा सकेगा ।
8. यदि किसी संस्था में पूर्व में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता रह चुके हो तो उसका विवरण एवं छोड़ने संबंधी कारण तथा कार्य प्रणाली दर्शाने वाला प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो संलग्न करे।

संलग्नक :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

अनुमोदित

संयुक्त संचालक (प्रशि.)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर (छ.ग.)

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

मो. नं ....